भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3584

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर

+3584. श्री राजू बिष्टः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (एबी-एचडब्ल्यूसी) की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान एबी-एचडब्ल्यूसी को राज्यवार और वर्षवार कुल कितनी निधि आबंटित की गई है;
(ग) वर्ष 2019 से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में एबी-एचडब्ल्यूसी की स्थापना के लिए वर्षवार कुल कितनी निधि आबंटित की गई है;
(घ) वर्ष 2019 से दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में स्वीकृत, रोकी गई और पूरी की गई कुल एबी-एचडब्ल्यूसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं के नाम और स्थानों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में मौजूदा एबी-एचडब्ल्यूसी के उन्नयन अथवा नए एबी-एचडब्ल्यूसी की स्थापना के लिए भावी योजनाएं क्या हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): फरवरी, 2018 में, भारत सरकार ने दिसंबर 2022 तक देश भर में 1,50,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम), पूर्व में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) की स्थापना की घोषणा की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को बदलकर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तारित श्रृंखला प्रदान की जाएगी जिसमें सेवाओं के 12 पैकेज शामिल हैं, जिनमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं जो सार्वभौमिक, निःशुल्क और समुदाय के करीब हैं।

पिछले पांच वर्षों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत एएएम के लिए दिए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) अनुमोदन का विवरण **अनुलग्नक** में संलग्न है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में एएएम की स्थापना के लिए आवंटित कुल निधियों का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

	जिलावार आवंटित निधियां (लाख रुपए में)			
वित्तीय वर्ष	दार्जिलिंग (जीटीए)	दार्जिलिंग (एसएमपी)	कलिम्पोंग	उत्तरी दिनाजपुर
2019-20	-	56.40	-	37.77
2020-21	0.50	167.94	6.86	205.27
2021-22	17.17	124.19	12.23	178.55
2022-23	38.98	96.99	3.21	81.68
2023-24	38.28	34.86	-	92.16
2024-25 (फरवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार)	39.26	30.04	-	101.23

जीटीए: गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन; एसएमपी: सिलीगुड़ी महाकुमा परिषद

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एएएएम पोर्टल पर अपडेट किए गए अनुसार, 28.02.2025 तक कुल 1,76,573 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित और संचालित किए जा चुके हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल में कुल 13,417 एएएएम शामिल हैं।

हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) (अवसंरचना और मानव संसाधन), 2022-23 एक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य सेवा प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। एचडीआई 2022-23 के अनुसार, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तरी दिनाजपुर जिलों में कुल 278, 62 और 481 एससी और पीएचसी स्थापित किए गए हैं। इनमें से दिनांक 28.02.2025 तक क्रमशः 250, 53 और 479 केंद्रों को एएएएम में उन्नयन किया गया है।

****

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक एनएचएम के तहत एएएम के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार एसपीआईपी अनुमोदन

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2019-20 एसपीआईपी अनुमोदन	2020-21 एसपीआईपी अनुमोदन	2021-22 एसपीआईपी अनुमोदन	2022-23 एसपीआईपी अनुमोदन	2023-24 एसपीआईपी अनुमोदन
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	380.52	513.70	510.40	15.00	10.50
2	आंध्र प्रदेश	54,953.44	19,812.59	36,634.88	4,089.10	3,745.65
3	अरुणाचल प्रदेश	748.69	2,537.60	2,400.07	1,119.21	883.71
4	असम	7,990.71	34,894.82	14,801.60	23,445.27	18,267.63
5	बिहार	21,112.23	47,753.56	54,858.16	52,749.20	4,026.16
6	चंडीगढ़	0.80	141.30	562.88	124.82	124.82
7	छत्तीसगढ	11,102.64	25,366.83	24,263.83	16,633.63	8,478.83
8	दादरा एवं नगर हवेली	28.84	413.40	0.00	8.59	8.59
	दमन और दीव	33.10				
9	दिल्ली	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
10	गोवा	59.40	792.39	770.66	512.89	53.09
11	गुजरात	14,565.00	36,605.38	39,089.26	13,178.54	8,252.56
12	हरियाणा	7,671.80	11,184.25	23,912.27	11,399.68	5,971.04
13	हिमाचल प्रदेश	5,556.94	17,717.18	6,040.21	928.75	226.99
14	जम्मू और कश्मीर	7,436.53	9,875.32	8,924.28	3,657.24	3,070.74
15	झारखंड	11,980.49	18,600.46	10,798.17	25,173.69	11,763.54
16	कर्नाटक	18,933.68	55,448.77	29,566.25	42,721.29	13,716.82
17	केरल	31,465.33	27,662.37	5,849.91	18,111.82	26,520.10
18	लक्षद्वीप	0.00	23.30	32.01	3.55	1.99
19	मध्य प्रदेश	20,916.48	82,633.95	43,527.48	19,073.02	31,381.22
20	महाराष्ट्र	56,030.75	92,246.46	43,035.35	36,566.83	13,564.63
21	मणिपुर	2,222.53	4,204.49	2,606.43	1,114.70	1,100.70
22	मेघालय	1,391.88	2,369.46	3,895.09	2,741.67	717.12
23	मिजोरम	690.15	2,046.65	1,649.70	755.57	671.08
24	नगालैंड	1,403.68	3,272.56	2,843.12	660.61	785.47
25	ओडिशा	11,738.45	11,993.91	35,481.50	15,286.40	13,418.93
26	पुदुचेरी	34.50	835.26	804.39	269.75	258.95
27	पंजाब	6,387.76	23,973.61	14,852.40	4,613.92	1,772.53
28	राजस्थान	6,177.73	1,13,827.72	79,589.44	17,212.36	17,212.36
29	सिक्किम	230.91	1,348.93	1,199.38	110.21	98.65
30	तमिलनाडु	8,696.79	23,664.31	35,265.22	8,096.81	4,339.34
31	तेलंगाना	5,685.10	6,337.76	17,442.98	5,202.87	5,853.78
32	त्रिपुरा	3,779.80	5,447.10	3,273.92	4,421.36	671.46
33	उत्तर प्रदेश	62,372.49	1,59,029.82	1,57,394.70	74,968.69	1,78,616.62
34	उत्तराखंड	2,742.98	7,464.61	4,651.06	7,214.59	2,143.06
35	पश्चिम बंगाल	20,275.89	49,356.40	30,098.19	20,608.22	12,605.01
36	लद्दाख	0.00	1,118.01	2,458.41	1,870.85	633.80

नोट:
एसपीआईपी अनुमोदन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार है और अनंतिम है।

*****